# GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार) MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय) RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

No. 2024/H-1/3/5/Blood donation

New Delhi, 28 .11.2024.

The General Managers, All India Railways & Production Units, PCAO/PLW, CAO/RWP & DG/RDSO

Sub:- Grant of Special Casual Leave (SCL) for the purpose of blood donation-reg.

\*\*\*\*

Please find enclosed, the Department of Personnel and Training (DOP&T)'s O.M. No.13020/1/2017-Estt.(L) dated 28.12.2017 regarding grant of Special Casual Leave (SCL) for the purpose of blood donation, for information and compliance. The provisions contained in DOP&T's O.M. dated 08.10.1956 regarding grant of SCL to a government servant who donates blood on a working day, are available in Rule 638(3) of the Indian Railways Medical Manual-2000.

- 2. In this regard, it is noted that presently this rule applies only to whole blood donation and does not cover apheresis donation. It is felt that the rule should cover apheresis donation as well since it will have the added advantage of getting blood components like platelets, plasma etc.
- 3. Accordingly, it has been decided that Special Casual Leave may be granted for blood donation or for apheresis (blood components such as red cells, plasma, platelets etc.) donation at licensed Blood Banks on a working day (for that day only) up to a maximum of 4 times in a year on submission of valid proof of donation.
- 4. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Neilam Yadav)

Director, E(G),

Railway Board

(Dr.Namita Negi) Executive Director Health(G)

New Delhi, Dated 28 .11.2024

Railway Board

No. 2024/H-1/3/5/Blood donation

Copy to:

1. The PCMDs/PCMOs, All Indian Railways/Production Units & RDSO.

2. The Principal Financial Advisors, All Indian Railways & Production Units & RDSO.

(Neilam Yadav

Director, E(G),

Railway Board

(Dr.Namita Negi)

Executive Director Health(G)
Railway Board

Contd...

## Copy to:

- 1. The Principal Directors of Audit, All Indian Railways/Production Units.
- 2. The Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.

for Member Finance/Railway Board.

No. 2024/H-1/3/5/Blood donation

New Delhi, Dated 28.11.2024

## Copy to:

- 1. The General Secretary, NFIR, Room no. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
- 2. The General Secretary, AIRF, Room no. 253, Rail Bhawan, New Delhi.
- 3. All Members of Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozshah Road, New Delhi.
- 4. The Secretary General, FROA & IRPOA, Room No.256-A & 268, Railway Board.
- 5. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
- 6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
- 7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
- 8. The Secretary, RBMSA, Rail Bhawan, New Delhi.
- 9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
- The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
- 11. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.8 Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi.
- 12. General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.), 490A/16, Gurudwara Road, Gurgaon.

for Principal Executive Director (IR), Railway Board

As 28.1124

Copy to: F(E)III Branch Railway Board.

# भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय /MINISTRY OF RAILWAYS रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं.2024/एच-1/3/5/ब्लड डोनेशन

नई दिल्ली, दिनांक: 28.11.2024

महाप्रबंधक. सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, प्रधान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, पटियाला रेलइंजन कारखाना, म्ख्य प्रशासनिक अधिकारी/रेल पहिया कारखाना एवं महानिदेशक/आर.डी.एस.ओ.

विषयः रक्तदान के प्रयोजनार्थ विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के संबंध में।

इस पत्र के साथ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 28.12.2017 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 13020/1/2017-स्था.(एल) सूचना और अन्पालन के लिए संलग्न है, जो रक्तदान के प्रयोजनार्थ विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के बारे में है। सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्यदिवस में रक्तदान करने पर विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करने से संबंधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.10.1956 के कार्यालय ज्ञापन में अंतर्विष्ट प्रावधान भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली-2000 के नियम 638(3) में उपलब्ध हैं।

- इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में यह नियम केवल सम्पूर्ण रूप से रक्तदान पर ही लागू होता है और इसमें एफेरेसिस रक्तदान शामिल नहीं हैं। यह महसूस किया गया है कि नियम में एफेरेसिस रक्तदान को भी शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि इससे प्लेटलेट्स, प्लाज्मा आदि जैसे घटकों को प्राप्त करने का अतिरिक्त लाभ होगा।
- 3. तदनुसार, यह विनिश्चय किया गया है कि किसी कार्यदिवस में लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों में रक्तदान अथवा एफेरेसिस (लाल कोशिकाओं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स इत्यादि जैसे रक्त घटकों) के लिए रक्तदान का वैध प्रमाण प्रस्तुत करने पर वर्ष में अधिकतम 4 बार विशेष आकस्मिक अवकाश (केवल उस दिन के लिए) प्रदान किया जाए।

इसे रेल मंत्रालय के वित निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

निदेशक, स्थापना (सा.),

रेलवे बोर्ड

(डॉ. नमिता नेगी)

कार्यपालक निदेशक, स्वास्थ्य (सा.)

रेलवे बोर्ड

जारी.....

सं.2024/एच-1/3/5/ब्लड डोनेशन

नर्ड दिल्ली, दिनांक : 28.11.2024

# प्रतिलिपि प्रेषितः

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन डकाडयां एवं आरडीएसओ।

2. प्रधान वित सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां एवं आर.डी.एस.ओ.

नीलमं यादव)

निदेशक, स्थापना(सा.)

रेलवे बोर्ड

(डॉ. नमिता नेगी)

कार्यपालक निदेशक, स्वास्थ्य (सा.)

रेलवे बोर्ड

सं.2024/एच-1/3/5/ब्लड डोनेशन

नर्ड दिल्ली, दिनांक : 28.11.2024

## प्रतिलिपि प्रेषितः

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. प्रधान निदेशक महालेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेल/उत्पादन इकाइयां

2. प्रतिलिपिः भारत के उप-नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य, वित/रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक : 28.11.2024

सं.2024/एच-1/3/5/ब्लड डोनेशन

- जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
- जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली)।
- राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड. नर्ड दिल्ली।
- सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ और आईआरपीओए, कमरा नं. 256-ए एवं 268 रेलवे बोर्ड।
- जनरल सेक्रेटरी,ऑल इंडिया आरपीएफ एसोशिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- सचिव, आरबीएसएस, ग्रप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन,कमरा नं.256-डी रेल भवन, नई दिल्ली।
- सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली। 7.
- सचिव, आरबीएमएसए, रेल भवन, नई दिल्ली।
- सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' एम्पलोईज एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।.
- 10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन, कमरा नं. 8. ग्राउंड फ्लोर, रेल भवन, नई दिल्ली-110001
- जनरल सेक्रेटरी, रिटार्यंड रेलवे इम्प्लाइज वेल्फेयर एसोसिएशन (रजि.), 490ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुडगांव।

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक(औदयोगिक संबंध)/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित: एफ (ई)।।। शाखा रेलवे बोई।